



भारत का राजपत्र The Gazette of India

सी.जी.-के.ए.-अ.-07102026-276890
CG-KA-E-07102026-276890

असाधारण
EXTRAORDINARY

भाग II—खण्ड 3—उप-खण्ड (ii)
PART II—Section 3—Sub-section (ii)

प्राधिकार से प्रकाशित
PUBLISHED BY AUTHORITY

सं. 5259]

नई दिल्ली, मंगलवार, अक्तूबर 6, 2026/आश्विन 14, 1948

No. 5259]

NEW DELHI, TUESDAY, OCTOBER 6, 2026/ASVINA 14, 1948

रेल मंत्रालय

[दक्षिण पश्चिम रेलवे (निर्माण संगठन)]

अधिसूचना

बेंगलुरु, 5 अक्तूबर, 2026

का.आ. 5469(अ).—धारा 20 एफ के खंड (6) और रेलवे अधिनियम, 1989 (1989 का 24) की धारा 2 के खंड 7 ए द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, रेल मंत्रालय (दक्षिण पश्चिम रेलवे, निर्माण संगठन, बेंगलुरु छावनी) एतद्वारा नीचे दी गई तालिका के कॉलम (4) में उल्लिखित अधिकारियों को 'सक्षम प्राधिकारी' के रूप में और नीचे दी गई तालिका के कॉलम (5) में 'मध्यस्थ' के रूप में उल्लिखित अधिकारियों को ऐसे प्राधिकारी के रूप में कार्य करने के लिए अधिकृत करता है (ख) ऐसी विशेष रेल परियोजना के निष्पादन, अनुरक्षण, प्रबंधन और प्रचालन के सार्वजनिक प्रयोजन के लिए नीचे दी गई तालिका के कॉलम (3) में उल्लिखित जिले से संबंधित कॉलम (2) में उल्लिखित विशेष रेल परियोजनाओं के संबंध में सरकारी राजपत्र में इस अधिसूचना के प्रकाशन की तारीख से उक्त अधिनियम के अधीन है।

तालिका

क्रम संख्या	परियोजना का नाम	जिला	सक्षम प्राधिकारी	मध्यस्थ
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)
1.	बांगरपेट-जोलारपेट्टै (केट्टांडपति) के बीच चौगुना (73.30)	कोलार	ए सी & एल ए ओ, कोलार	क्षेत्रीय आयुक्त, बेंगलुरु

[फा. सं. डब्ल्यू.271/सीएन/बीएनसी/2026-27/भूमि एसआरपी/1727]

आशुतोष माथुर, मुख्य इंजीनियर-IV/निर्माण

MINISTRY OF RAILWAYS

[South Western Railway (Construction Organisation)]

NOTIFICATION

Bengaluru, the 5th October, 2026

S.O. 5469(E).—In the exercise of the powers conferred by clause (6) of section 20F and clause 7A of section 2 of the Railway Act, 1989 (24 of 1989) the Ministry of Railway (South Western Railway, Construction Organization, Bengaluru Cantonment) hereby authorizes the officers mentioned in column (4) of the table below as 'Competent Authority' and the officers mentioned in column (5) of the table below as 'Arbitrator' to perform the functions as such authority under the said act with effect from date of publication of this notification in the official gazette in respect of Special Railway Projects mentioned in column (2) relating to district mentioned in column (3) of the table below for public purpose of execution, maintenance, management and operation of such Special Railway Project.

TABLE

SI No.	Name of Project	District	Competent Authority	Arbitrator
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)
1.	Quadrupling between Bangarpet-Jolarpettai (Kettandapatii) (73.30)	Kolar	AC&LAO, Kolar	Regional Commissioner, Bengaluru

[F. No. W.271/CN/BNC/2026-27/Land SRP/1727]

ASHUTOSH MATHUR, Chief Engineer-IV/Construction